न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 342/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
ओमिया उर्फ ओमाराम पुत्र सुजाराम उर्फ सुजीया जाति मेघवंशी निवासी दुदिया तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– गोबरराम पुत्र बस्ताराम के का0मुकाम– 1.1– बिदामी पत्नी गोबरराम 1.2– हडमान पुत्र गोबरराम 1.3– भल्लाराम पुत्र गोबरराम 1.4– सगुदेवी पुत्री गोबरराम 2– सुजाराम पुत्र बेनाराम 3– डुंगरराम पुत्र मोहनराम 4– गोपाराम पुत्र मोहनराम 5– श्यामाराम पुत्र मोहनराम 6– हरकु बेवा मोहनराम जातियान मेघवाल निवासीगण दुदीया तहसील लूनी जिला जोधपुर 7– तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30–6–2015 जो अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 25/2013 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मोती सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अक्षय दवे अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 4 की ओर से ।
3– श्री प्रहलाद सिह अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
4– रेस्पो0 संख्या 5 व 6 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 29–5–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दुदिया तहसील लूनी के खसरा नंबरान 21, 27, 32, 36, 290, 293, 294 एवं 295 कुल आठ खसरान की 132 बीघा 09 बिस्वा भूमि गोबरराम पुत्र बस्ताराम, शंकरराम, सुजाराम, मोहनराम पुत्रान वेनाराम कौम मेघवाल सा0 देह के खातेदारी की मे दर्ज थी । उक्त खातेदारान मे से सहखातेदार मोहनराम के फोत होने पर उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 174 पटवारी हल्का सतलाना मे भरकर प्रस्तुत किया जिस पर निरीक्षक भू.अ. धुंधाडा ने शंकरलाल भी फोत होने से उसके वारिस के नाम दर्ज करने की टिप्पणी की जाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 25–8–98 को शंकरराम कुंआरा फोत होने से उनके वारिसानो के नाम नामांतरकरण खोला गया, की टिप्पणी के साथ प्रस्तुत किया, जिसे नायब तहसीलदार लूनी ने दिनाक 25–8–98 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 174 के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को कोर्ट केम्प लूनी मे रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2015 के द्वारा

अपीलांट की अपील को खारीज कर दी जाने के आदेश से विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार शंकरिया ने अपने खातेदारी की भूमि के संबंध मे एक वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 26–4–95 को निष्पादित किया गया था परंतु सहखातेदार शंकरिया के हिस्से की भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 174 अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सभी वारिसान के नाम स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो अपील रेगुलर कोर्ट मे तारीख पेशी मे चल रही थी तथा उसमे दोनो पक्षो की ओर से अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे परंतु दिनांक 18–5–15 की आदेशिका से पत्रावली को केम्प कोर्ट लूनी मे दिनांक 30–6–15 को रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा अपीलाधीन निर्णय रेस्पो0गण की उपस्थिति दर्ज करते हुए पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दिनांक 30–6–2015 के लोक अदालत केम्प कोर्ट के नोटिसेज की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी केम्प कोर्ट के नोटिस पृथक–पृथक पक्षकारो के नाम से जारी नही कर केवल अपील मे वर्णित सभी पक्षकारान के नाम का उल्लेख करते हुए कॉमन रूप से जारी किये गये है जिसमे अपीलांट का नोटिस स्वयं से तामिल करवाये बिना मात्र अ0नि0सुजाराम पिता से तामिल बताते हुए पर्याप्त तामिल मानकर आदेश मे अपीलांट को बावजुद तामिल के अनुपस्थित बताकर जो निर्णय पारित किया है, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं एकतरफा होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे दोनो ही पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नही थे तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना ही मेरिट पर निर्णित कर दिया,जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान आदेश 41 नियम 17 सीपीसी के प्रावधानो की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि मेरिट पर निर्णय पारित करने से पूर्व दोनो पक्षो को सुनना आवश्यक है तथा कथन किया कि यदि अपीलांट हाजिर नही है तो न्यायालय अपील को डिसमिस कर सकता है, अपील का निर्णय मेरिट पर नही किया जा सकता है इसलिए वर्तमान प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का नोटिस प्रोपर तामिल नही होने से अपीलांट लोक अदालत केम्प कोर्ट लूनी मे उपस्थित नही हो सका था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलांट की अनुपस्थिति लगाते हुए एकतरफा निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उनकी ओर से इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे यह आधार भी लिया है कि अपीलाधीन निर्णय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13–8–99 एवं 6–11–2000 मे दी गई प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया है तथा यह भी कथन किया कि लोक अदालत मे केवल राजीनामे के जरिये ही

प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है, लोक अदालत मे धारा 19 लोक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रकरण मेरिट पर निस्तारित नही किया जा सकता था तथा यह भी कथन किया कि यदि पक्षकारो के बीच राजीनामा लोक अदालत मे नही बेठता है तो प्रकरण पुनः नियमित कोर्ट मे प्रस्तुत किया जायेगा परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी प्रावधानो का अध्ययन किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह एब–इनिश्यों–वॉईड आदेश होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन भूमि के खातेदार शंकरिया द्वारा मेरे पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर म्युटेशन स्वीकार करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नोटिस तामिल करवाये बिना तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2015 को पारित किया है, उसे निरस्त करने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनो पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2014 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 515 एवं 2013 (2) सिविल टाईम्स (एस.सी.) पेज 377 की निर्णय नजीरें पेश की ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का मूल खातेदार बेनाराम था तथा उसके फोत होने पर अपीलाधीन भूमि गोबरराम पुत्र बस्ताराम, शंकरराम, सुजाराम, मोहनराम पुत्रान वेनाराम कौम मेघवाल सा0 देह के नाम दर्ज हुई अथार्त अपीलाधीन भूमि पैतृक भूमि थी इसलिए पैतृक भूमि के संबंध मे शंकराराम को वसीयत करने का अधिकार नही था तथा कथन किया कि वसीयत केवल स्वअर्जित सम्पति की ही की जा सकती है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे जिस वसीयत का होना बताते है उसमे अपीलाधीन भूमि के गांव का स्पष्ट उल्लेख नही किया हुआ है तथा गवाहान के नाम पते आदि का पूर्ण विवरण नही होने से वसीयत संदिग्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेख किया है कि अपीलाट किसी विशिष्ट दस्तावेज के आधार पर कोई अधिकार होना मानते है तो उसे सक्षम न्यायालय मे अधिकारो की घोषणा हेतु नियमित वाद करना चाहये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18–5–15 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त आदेशिका मे पत्रावली को केम्प कोर्ट तहसील लूनी मे दिनांक 30–6–15 को पेश होने का उल्लेख किया हुआ है तथा दिनांक 18–5–15 की आदेशिका मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज है अथार्त पक्षकारान के अधिवक्ताओं को केम्प मे पत्रावली रखने की सूचना थी तो उन्हे केम्प मे जाना चाहिये था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायहित मे पक्षकारान को सूचना बाबत केम्प के नोटिस जारी किये जिसमे अपीलांट के नोटिस उसके पिता

सूजाराम से तामिल सुदा रेकर्ड पर है तथा सुजाराम स्वयं भी अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 था जिनका नोटिस भी स्वयं से तामिल हुआ था परंतु अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 को केम्प की जानकारी होते हुए भी वे जानबूझकर केम्प मे उपस्थित नही होने पर जो एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि केम्प मे प्रकरणो को मेरिट पर निर्णित नही किया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नही है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट की अनुपस्थिति मे अपील को मेरिट पर खारीज नही किया जा सकता, ऐसा कोई हार्ड एण्ड फास्ट प्रावधान नही है । वर्तमान प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मेरिट पर सही लगा तो मेरिट पर जो निर्णय किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे एक घोषणा का वाद भी अधीनस्थ न्यायालय मे माडुदेवी ने पेश कर रखा है जो वर्तमान मे लबित है, म्युटेशन अपील मे स्वत्वो का बेहतर निर्धारण संभव नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय मे जो फाईंडिंग्ज दी है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2009 पेज 123 की निर्णय नजीर पेश की जिसमे वसीयत, गोदनामे के आधार पर अधिकारों का निर्धारण म्युटेशन प्रोसिडिंग मे तय नही किये जा सकते है, दावा ही विकल्प है, का उल्लेख किया हुआ होना बताया । इसके अलावा रेस्पो0 अधिवक्ता ने आर.आर.डी. 1999 पेज 514 एवं आर.आर.डी. 2006 पेज 190 की निर्णय नजीरे पेश की।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही के जरिये अधिकारो का बेहतर निर्धारण संभव नही है इसके लिए घोषणा का दावा ही विकल्प है इसलिए अपीलांट अपने पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे वसीयत होना तथा वसीयत के आधार पर अपना अधिकार होना बताते है तो उन्हे अधिकारो की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय मे पेश करना होगा इसलिए अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रिबेटल बहस मे कथन किया कि इस अपीलेट कोर्ट को यही देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय क्या अनियमितताएं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की वैद्यता अथवा संदिग्धता के बारे मे कोई फाईंडिंग नही दी है इसलिए रेस्पो0 अधिवक्ता इस अपीलीय न्यायालय मे नये बिन्दु पर किसी प्रकार की फाईंडिंग नही दी जा सकती है । अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एब–इनिश्यों–वॉईड तथा नेचुरल जस्टिस के विरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया

तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी गहनता से अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि पत्रावली मे उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता गण नियमित कोर्ट मे उपस्थित हो रहे थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18–5–2015 अनुसार पत्रावली केम्प कोर्ट लूनी मे दिनांक 30–6–2015 को रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पक्षकारान के केम्प कोर्ट मे दिनांक 30–6–15 को उपस्थित होने के लिए जारी की गई सूचना एवं उस पर तामिली रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट ओमिया उर्फ ओमाराम पुत्र सुजाराम का नोटिस अपीलांट स्वयं से तामिल नही करवा कर उसके पिता सुजाराम से तामिलसुदा प्राप्त हुआ है अथार्त अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे केम्प कोर्ट का नोटिस प्रोपर तामिल नही हुआ था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे "अपीलांट बाद तामिल सम्मन अनुपस्थित" का उल्लेख करते हुए जो एकतरफा निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2015 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान विधिवत नोटिस जारी कर, बाद तामिल उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 29–5–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर